न्यायालय : अवर न्यायाधीश अरेराज, पूर्वी चम्पारण।
स्वत्व वाद संख्या 18 / 2021
सीआइएस 18 / 2021

प्रस्तुत समक्षः **श्री मनीष कुमार पाण्डेय।**

आदेश

दिनांक 22.03.2024 वाद पुकारा गया। मामला साक्ष्य पर निर्धारित है। मामले में वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 13.03.2024 के अंतगर्त कहा गया है वादी के द्वारा अपनी तरफ से वाद के आधार के रूप में खाता नं 182 मौजा अरेराज का सर्वे हाल खतियान तथा अन्य दस्तावेज दाखिल किया गया है दस्तावेजों में से कुछ 30 साल पुराना है और कुछ लोक दस्तावेज है। वादी साक्षी ने अपने साक्ष्य के दौरान इसकी अभिरक्षा साबित की है मामला एकपक्षी है अतः दस्तावेज को साक्ष्य में लेते हुए उसे प्रदर्श अंकित करने की कृपा करें।

प्रतिवादी की तरफ से कोइ उपस्थित नहीं हुआ । मामला एकपक्षीय है।

उपस्थित पक्ष को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया । अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि आवेदन पत्र में वर्णित कागजातों का अवलोकन किया। मामले में खाता नं 182 मौजा अरेराज का सर्वे हाल खतियान के अलावा अन्य सभी दस्तावेज तीस वर्ष से पुराने दस्तावेज हैं वादी ने उनकी उचित अभिरक्षा अपने साक्ष्य के माध्यम से साबित की है । न्यायालय **अब्दुल रहमान तथा अन्य बनाम मोहम्मद कारू तथा अन्य के मामले में दिनांक 30.11.18 में माननीय न्यायमूर्ति प्रभात कुमार झा, पटना उच्च न्यायालय के पी0एल0जे0आर0 2019 (1) –376 में पारित आदेश का अवलोकन करती है जिसमें माननीय न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के संबंध में कहा है कि यदि कोई पक्षकार किसी दस्तावेज या आदेश की प्रमाणित प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करता है तो उसे विपक्षी पक्षकार के आपत्ति के साथ प्रदर्श अंकित किया जा सकता है और ऐसे दस्तावेज का साक्षियक मूल्य बहस के समय देखा जा सकता है।** अतः कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि समस्त दस्तावेजों को तथा तीस साल दस्तावेज लोक दस्तावेज के श्रेणी में आने के कारण साक्ष्य में लिया जाता है और प्रदर्श के रूप में अंकित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। वाद दिनांक .....वास्ते साक्ष्य।

लेखापित तथा संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)